न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/68/2021	2021/171	08-10-2021	27-07-2022

1. श्रीमती मनोहरी देवी पत्नी जगमाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम गेडंटी तहसील नारनौल (हरियाणा)हाल आवाद मकान नं. 2155 ए सैक्टर 55, वल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद (हरियाणा)

—अपीलान्ट

बनाम

1. पुष्कर पुत्र ग्यारसा जाति गूर्जर निवासी ग्राम ववेडी तहसील वानसूर जिला अलवर।

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार वानसूर दिनांक 01.10.2020 नामान्तकरण संख्या 1221 वाके ग्राम ववेडी तहसील वानसूर जिला अलवर।

उपस्थितः—

1. श्री अशोक कुमार मुदगल —वकील अपीलाण्ट
2. श्री सत्यनारायण शर्मा — वकील रेस्पोडेन्ट

—:निर्णयः—

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार वानसूर के आदेश दिनांक 01.10.2020 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 1221 वाके ग्राम ववेडी तहसील वानसूर जिला अलवर बेजा तौर पर दर्ज व स्वीकार किया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी वहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 782 रकवा 0.23 है0 सालिम व आराजी खसरा नम्बर 783 रकवा 0.24 है0 सालिम में से 14 ऐयर भूमि यानि कुल का 14/24 हिस्सा ग्राम ववेडी तहसील वानसूर जिला अलवर को खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट पुष्कर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.01.2020 को 6,00,000/रूपये छः लाख रूपये में खरीद किया था, तथा मौके पर कब्जा प्राप्त कर काविज होकर खातेदार काश्तकार चली आ रही है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र के विपरित विधि विरूद्व मनमाने तौर पर नामान्तकरण संख्या 1221 दिनाक 25.09.2020 को अपनी वेंजा आज्ञा दिनाक 01.10.2020 को स्वीकृत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय को रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनाक 01.01.2020 के अनुसार ही नामान्तकरण स्वीकृत करना चाहिये था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाने तोर पर खिलाफ पत्रावली रजिस्टर्ड विकय पत्र के जो आज्ञा पारित की है, वह निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनाक 01.10.2020 की मिन अपीलान्ट को पूर्व में जानकारी नही थी। दिनांक 22.06.2021 को नामान्तकरण की नकल लेने पर जानकारी हुई तथा कानूनी सलाह प्राप्त कर बिना देरी किये उक्त अपील पेश की गयी है। तथा अपील किये जाने में हुए विलम्ब दिनाक 01.10.2020 से 22.06.2021 तक का समय कन्डोन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 01.10.2020 नामान्तकरण संख्या 1221 ग्राम ववेडी तहसील वानसूर को निरस्त फरमाया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान वकील अपीलाण्ट/रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलाण्ट ने यह अपील तहत अदालत के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.10.2020 नामान्तकरण संख्या 1221 ग्राम बबेडी तहसील बानसूर के विरूद्ध दिनांक 07.09.2021 को न्यायालय में पेश की है यद्यपि विलम्ब की अवधि साधारण नहीं है। किन्तु प्रार्थना पत्र दफा–05 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है, जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपील अपीलाण्ट ने अपील में मुख्य तर्क उठाया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 782 रकबा 0.23 है0 सालिम व आराजी खसरा नम्बर 783 रकबा 0.24 है0 सालिम में से 14 ऐयर भूमि यानि कुल का 14/24 हिस्सा ग्राम बबेडी तहसील बानसूर जिला अलवर को खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट पुष्कर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.01.2020 को 6,00,000/रूपये छः लाख रूपये में खरीद किया था, तथा मौके पर कब्जा प्राप्त कर काबिज होकर खातेदार काश्तकार चली आ रही है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विपरित विधि विरूद्व मनमाने तौर पर नामान्तकरण संख्या 1221 दिनाक 25.09.2020 को अपनी वेंजा आज्ञा दिनांक 01.10.2020 को स्वीकृत किया गया है। पत्रावली में संलग्न बयनामा की प्रति के जाहिर है, कि अपीलान्ट ने खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट पुष्कर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.01.2020 के द्वारा 37 ऐयर भूमि खरीद की गयी है आराजी खसरा न0 782 रकबा 0.23 हिस्सा सालिम व आराजी खसरा न0 783 रकबा 0.24 हिस्सा सालिम में से 14 ऐंयर भूमि यानि 14/24 खरीद की गयी। मुताविक बयनामा नामान्तकरण दर्ज नही किया गया है। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय नामान्तकरण संख्या 1221 निर्णय दिनांक 01.10.2020 ग्राम बबेडी तहसील बानसूर निरस्त किया जाता है, तथा प्रकरण इस निर्देश से साथ तहसीलदार बानसूर को रिमाण्ड किया जाता है, कि मुताविक बयनामा के अनुसार पुनः जाँच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.07.2022

(अखिलेश पिपल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रथम अलवर